दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथिः 21 मार्च, 2023

रि.या.(सि.) 3453/2023

अजय कुमार शर्मा व अन्य ....याचीगण

द्वारा : श्री अभय कुमार भार्गव व श्री सत्यार्थ सिन्हा, अधिवक्तागण।

बनाम

सचिव गृह मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ व अन्य ....प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री नीरज गर्ग, वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता सह श्री सहज, श्री वेदांश आनंद व श्री रुद्र, भारत संघ के अधिवक्तागण।

श्री हेमेन्द्र सिंह, डीसी (कानून), बीएसएफ।

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

1. वर्तमान याचिका के द्वारा, याचीगण निम्नलिखित अनुतोष की मांग कर रहें हैं :

"क.) बीएसएफ के महानिदेशक को यह निर्देशित करते हुए परमादेश रिट अथवा अन्य रिट आदेश जारी करें कि वे समयबद्ध तरीके से 109 याचीगण के पक्ष में एमएसीपी योजना के लाभ प्रदान किए जाएं, जिसकी गणना उनके बीआरटी (बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण) हेतु उपस्थित होने की तारीख से की जाए जैसे कि इस माननीय न्यायालय द्वारा बबलू मालिक व अन्य रि.या.(सि) : 7011/2015 में दायर पुनर्विचार याचिका सं. 222/2019 में दिनांक 11.10.2019 को विधि अधिकथित है ***(अनुलग्नक- पी4)***।

ख.) प्रत्यर्थी- महानिदेशक बीएसएफ को यह निर्देशित करते हुए एक परमादेश रिट या कोई अन्य रिट आदेश या निर्देश जारी करें कि

याचीगण को 12% के ब्याज के साथ बकाया वेतन व अन्य संबंधित लाभ प्रदान किए जाएं।"

2. याचीगण के विद्वत अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचीगण ने प्रत्यर्थी सं. 2/महानिदेशक, बीएसएफ के समक्ष आईसीटी डीटीई एफएचक्यू ओ/नं. 16284-96 दिनांकित 08.12.2022 के अनुसार बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होने की तारीख से उनकी सेवा की गणना करते हुए एसीपी/एमएसीपी योजना के तहत वेतन के पुनः निर्धारण के लिए दिनांक 13.12.2022 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है; तथापि, आज तक, प्रत्यर्थी सं. 2/महानिदेशक, बीएसएफ द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

3. तदनुसार, हम प्रत्यर्थी सं. 2/महानिदेशक, बीएसएफ को आज से चार सप्ताह के भीतर याचीगण के 13.12.2022 दिनांकित कथित अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए वर्तमान याचिका का निपटान करते हैं।

4. इस प्रकार से लिए गए निर्णय को, उसके बाद एक सप्ताह के भीतर याचीगण को लिखित रूप में प्रेषित किया जाए।

5. तदनुसार, वर्तमान याचिका का निपटान किया जाता है।

6. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि याचीगण प्रत्यर्थी सं. 2 के निर्णय से व्यथित हों, तो वे उचित न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती दे सकते हैं।

(सुरेश कुमार कैत)

न्यायाधीश

(नीना बंसल कृष्णा)

न्यायाधीश

21 मार्च, 2023
एस.शर्मा

तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023:डीएचसी:2032-डीबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*